राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

नदियों काअंतर्योजन परियोजना हेतु विशेष समिति की नवमी बैठक के कार्यवृत्त

(29 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित)

नई दिल्ली

सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की विशेष समिति की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त।

सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता वाली नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की विशेष समिति की नौवीं बैठक दिनांक 29.04.2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 11:00 बजे आयोजित की गई। श्री गिरीश महाजन, माननीय जल संसाधन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में रखी गई है।

प्रारंभ में, जल संसाधन मंत्री, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने बैठक में विशेष समिति के सदस्यों और प्रतिभागियों को स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि देश के जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाकार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और जल, सूखा प्रवण और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में बहुत लाभदायक होगा। संबंधित राज्य सरकारों की मतैक्यता और सहयोग के साथ भारत सरकार नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने उल्लेख किया कि उन्होंने दिनांक 3 फरवरी, 2016 को महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के संबंध में भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के साथ एक बैठक की थी और उड़ीसा सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा व्यक्त की थी। इस संबंध में उन्होंने आगे कहा कि माननीय मुख्य मंत्री, उड़ीसा के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति होगी, जो इस लिंक के संबंध में सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी और उन्हें सुलझा सकेगी एवं माननीय मुख्यमंत्री, उड़ीसा के साथ अगली बैठक पहली बैठक से छह महीने के बाद आयोजित की जाएगी।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि इसके विभिन्न प्रसंस्करण उन्नत चरण में हैं और रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक को वन्यजीव स्वीकृति में तेजी लाने के लिए सलाह दी। सभी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, एक टिप्पण केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें लिंक परियोजना के लिए साधन और लॉन्चिंग प्रतिरूप प्रस्तावित किया जाएगा। उन्होंने रा.ज.वि.अ. को सभी संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता से निपटने के लिए निर्देशित किया।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझाकरण के मुद्दे को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति को देखते हुए पार-तापी-नर्मदा लिंक का सही समय हैजो गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुँचाएगा। दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना मुंबई शहर को जल हस्तांतरित करेगी, जो 2060 ईस्वी तक शहर की घरेलू जल आवश्यकताओं कि पूर्ति करेगा। इसलिए उन्होंने दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र के माननीय मंत्री (जल संसाधन)से सहयोग एवं सहायता की मांग की। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने बताया कि वह 3 मई 2016 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रही है, जिसमें वे दोनों लिंक परियोजनाओं के साथ तापी मेगा रिचार्ज स्कीम पर वार्ता करेंगी। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों जैसे लातूर में सूखा और इसी

समय असम के देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ आ गई थी। अतः नदियों के अंतर्योजनकी आवश्यकता है, जिसके माध्यम से अधिशेष बाढ़ के जल को जल के घाटे वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं से संबंधित राज्यों द्वारा जल साझाकरण पर एक समझौता शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने सभी सदस्यों, विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग और सहायता की मांग की, जो कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए बहुत आवश्यक है।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इसके पश्चात महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री सेअपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया।

महाराष्ट्र:

महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री गिरीश महाजन ने कहा कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझा करने के मुद्दे को प्राथमिकता पर हल करने की आवश्यकता है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के साथ एक समझौते तक पहुंचने हेतु एक बैठक शीघ्र आयोजित की जानी चाहिए। इससे पहले, यह आवश्यक होगा कि दोनों राज्यों के अधिकारियों केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि इन बैठकों का प्रस्ताव पहले भी किया गया था लेकिन यह अभी तक आयोजित नहीं किया जा सका है। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोयना-मुंबई सिटी अंत:राज्यीयलिंक की पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन पर अपने टिप्पणियों दे दी है और अनुरोध किया कि डीपीआर तैयार करने के काम को पूर्ण करें।

इसके पश्चात्माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने महानिदेशक,रा.ज.वि.अ.से चर्चा कराने हेतु कार्यसूची मदप्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

मद सं. 9.1: नई दिल्ली में 8 फरवरी, 2016 को आयोजित नदियों के बीच में जोड़ने के लिए विशेष समिति की आठवीं बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि नदियों के बीच में जोड़ने के लिए विशेष समिति की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त 11 मार्च, 2016 के पत्र द्वारा प्रसारित किया गया था। समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी और इसलिए परिचालन के अनुसार कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई।

मद सं. 9.2: पिछली बैठक के दौरान किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

महा निदेशक, रा.ज.वि.अ. ने विशेष समिति की आठवीं बैठक के निम्नलिखित निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को निम्नानुसार बताया:

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया था कि चूंकि पौन्नैयार (कृष्णागिरी)-पलारलिंक का संबंध कर्नाटक से संबंधित था,अतःतमिलनाडु सरकार की टिप्पणियों की प्रतिलिपि के साथ-साथ उन्हें रा.ज.वि.अ. द्वारा भेजे गए उत्तर उपलब्ध कराने आग्रह किया। जैसा कि निर्णय लिया गया, तमिलनाडु सरकार की टिप्पणियों की एक प्रति और रा.ज.वि.अ. द्वारा उन्हें भेजे गए उत्तर कर्नाटक सरकार को 11 अप्रैल, 2016 के पत्र के जरिए उपलब्ध कराया गया है। उक्त स्थिति कार्यसूची नोट में उल्लिखित है।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि अगर कर्नाटक ने पुनर्नवीनीकरण जल का उपयोग किया तो इसके परिणामस्वरूप कावेरी बेसिन से आहरण कम करना होगा, यह गलत और असमर्थनीय था। उन्होंने स्पष्ट किया कि कावेरी बेसिन से बाहर बेंगलुरु शहर के लिए जल की आवश्यकता, जो बेंगलुरु सिटी का दो-तिहाई था, को अपने आवंटित जल में कटौती करके और अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जा रहा था क्योंकि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने इस क्षेत्र के लिए जल आवंटित नहीं किया था। उन्होंने इस कथन को रिकॉर्ड पर लाने का अनुरोध किया और उल्लेख किया कि विस्तृत उत्तर भी रा.ज.वि.अ. को भेजा जाएगा।

ii) यह निर्णय लिया गया कि श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण और नदियों का अंतर्योजन के कार्यबल के अध्यक्ष, प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति के साथ, नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के उद्देश्य के लिए 'अधिशेष जल' के मुद्दे पर विचार करेंगे और इसकी अनुशंसाओं को दो महीने में नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति को सौंपेंगे।

इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि, नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के उद्देश्य के लिए 'अधिशेष जल' का मुद्दा, श्री बी.एन. नवलावाला की अध्यक्षता में दिनांक 28.4.2016 को आयोजित कार्यबल की तीसरी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) के वर्तमान दिशानिर्देश रा.ज.वि.अ.कीत.स.स. के सभी सदस्य राज्यों को भेजे जाएंगे जिससे दो सप्ताह में उनके विचार प्राप्त हो सकें। उसके बाद रा.ज.वि.अ. की त.स.स., केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष अध्यक्षता में, राज्यों से प्राप्त विचारों के प्रकाश में दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी और उचित रूप से संशोधित करेगी। संशोधित दिशानिर्देश विचारार्थ जून-2016 के पहले सप्ताह में होने वाले अगली बैठक में नदियों का अंतर्योजन के कार्यबल के समक्ष रखा जायेंगे।

मुख्य सलाहकार (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने कहा कि अधिशेष जल के जटिल मुद्दे को विस्तृत रूप में लेकर कार्यबल की बैठक में चर्चा की गई। विशिष्ट स्थिति/समस्या के संदर्भ में समय-समय पर दिए गए दिशानिर्देश त.स.स. के निर्णयों का संग्रह हैं। इन दिशानिर्देशों को एक समग्र तरीके से कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि इस तथ्य को कार्यबल की कल की बैठक में नोट किया गया था और यह बैठक में निर्विवाद रूप से निर्णय लिया गया है कि वर्तमान दिशानिर्देश रा.ज.वि.अ.कीत.स.स. द्वारा फिर से जांच किए जाएंगे।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इच्छा व्यक्त की, कि पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन के एक प्रतिनिधि को भी कार्यबल की बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण और वन से संबंधित मुद्दों को अच्छी तरह से समझा और पर्यावरण और वन की स्वीकृति आसानी और शीघ्रता हल किया जा सके।

मद सं.9.3: केन-बेतवा लिंक परियोजना विभिन्न वैधानिक स्वीकृति के चरण-I स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I को नई दिल्ली में 8-9 फरवरी, 2016 को आयोजित अपनी 91 वीं बैठक में पर्यावरण स्वीकृति के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय , जलवायु परिवर्तन की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विचार किया गया था। इस बैठक में, ईएसी परियोजना प्रस्तावक यानी रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) वन्य जीवन निकासी के राष्ट्रीय वन मंत्रालय (एनबीडब्ल्यूएल) से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा। रा.ज.वि.अ. को सलाह दी गई है कि एनबीडब्ल्यूएल के निर्णय के साथ ईएसी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन को फिर से प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने आगे बताया कि जंगली जीवन निकासी के लिए प्रस्ताव 26 फरवरी, 2016 को आयोजित माननीय राज्य मंत्री (आईसी) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 37 वीं बैठक में विचार किया गया। विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति के समक्ष परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्थायी समिति, एनबीडब्ल्यूएल ने विस्तृत चर्चा के बाद एनटीसीए के प्रतिनिधियों, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून;डॉ० आर. सुकुमार, आईआईएससी, बेंगलुरु और एनबीडब्ल्यूएल के सदस्य डॉ. एच.एस. सिंह, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ और एनबीडब्ल्यूएल के सदस्य;मुख्य वन्यजीव संरक्षक के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश और रा.ज.वि.अ. के प्रतिनिधि, पन्ना टाइगर रिजर्व में परियोजना स्थल का दौरा करने और प्रासंगिक वन्यजीव मुद्दों की जांच करेंगे। उपरोक्त समिति ने 8-10 अप्रैल, 2016 को प्रस्तावित दौधन बांध के डूब क्षेत्र के तहत आने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया। यह उल्लेख किया गया कि प्रतिवेदन तैयारी में है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि रा.ज.वि.अ. ने वन भूमि परिवर्तन के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन को ऑनलाइन भेजा है और उनसे उठाए गए प्रश्नों का अनुपालन किया है, जिसमें 2 मी. से नीचे के पेड़ और डुबकी क्षेत्र में 4 मी. एफआरएल को छोड़कर चिह्नित किया गया है। यह शीघ्रता से किया जा रहा है

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक से परियोजना के चरण -1 और चरण -2 को विशेष समिति के सदस्यों को स्पष्ट करने कहा। रा .ज.वि.अ. ने दोनों चरणों से बांध/जलाशय, लिंक नहर और कमान क्षेत्र और दोनों राज्यों के लाभों का विवरण समझाया। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के अनुसार परियोजना के प्रथम चरण की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर पहले प्राप्त की जाए और इसके बाद चरण -2 की स्वीकृति का प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पर्यावरण

मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन और मध्य प्रदेश सरकार से परियोजना के चरण-1 के लिए विभिन्न स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने रा.ज.वि.अ. को केन-बेतवा लिंकपरियोजना क्षेत्र में विशेष समिति के सदस्यों की एक यात्रा का प्रबंध करने की सलाह दी, जैसा कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति के सदस्यों के लिए किया गया था।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने बताया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन से तीन स्वीकृति आवश्यक थी, अर्थात् (i) वन्यजीव, (ii) जंगल और (iii) पर्यावरण। वन्यजीव निकासी और पर्यावरण स्वीकृति अलग थी। वन के लिए दो चरणों की स्वीकृति आवश्यक थी अर्थात चरण -I और चरण-II परियोजना शुरू करने से पहले स्टेज-I स्वीकृति आवश्यक थी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा वन स्वीकृति में तेजी लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि को सलाह दी।

मद सं.9.4: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II - डीपीआर की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि निचला ओर बांध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 9 फरवरी, 2016 को आयोजित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की 91 वीं बैठक में विधिवत विचार किया गया था। ईएसी ने मृदा मानचित्रण, पर्यावरण प्रवाह, अतिरिक्त कमान क्षेत्र और केन-बेतवा लिंकपरियोजना के साथ संबंध, चरण-I में कुछ आपत्तियां थीं। आपत्तियों/टिप्पणियों को अनुपालन हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन को सौंप दिया गया था, जिसे ईएसी द्वारा अगली बैठक में पर्यावरण स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे सूचित किया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, निचला ओर बांध के तहत वन भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव की प्रतियों को मामले के प्रसंस्करण के लिए जिलाध्यक्ष और जिला वन अधिकारी (डीएफओ) अशोक नगर और शिवपुरी को सौंप दिया गया। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी अनुशंसा के साथ पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह राज्य वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन को अपनी अनुशंसाओं के साथ वन भूमि परिवर्तन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं. 9.5: दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं - डीपीआर की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक से मुंबई को पीने के जल को मुहैया कराने से महाराष्ट्र को लाभ होगा जबकि पार-तापी-नर्मदा लिंक से गुजरात को लाभ होगा।

विशेष सचिव ((जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि उन्होंने गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ गांधीनगर में बैठक की थी और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात से भी भेंट की, जिसमें उन्होंने दोनों राज्यों के लाभ का हवाला देते हुए एक प्रस्तुति दी। माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात ने उल्लेख किया कि वह इस मामले पर अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के मंत्रालय को यथानुसार सूचित करेंगी। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इस मामले में वर्तमान स्थिति को सूचित करने के लिए गुजरात सरकार के प्रतिनिधि से अनुरोध किया। गुजरात के प्रतिनिधि ने कहा कि इस मामले पर अधिकारियों के स्तर पर चर्चा की गई और फाइल माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात को सौंपी गई थी और एक पखवाड़े

के भीतर परिणामों के बारे में बताया जा सकता था। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक 3 मई, 2016 को आयोजित की जानी थी और इसलिए इससे पूर्व परिणाम मिल जाने चाहिए। उन्होंने श्री बी.एन. नवलावाला मुख्य सलाहकार, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण जो गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री के सलाहकार भी हैं से इस मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने माननीय मंत्री (जल संसाधन), महाराष्ट्र से अनुरोध किया कि वह अपने राज्य द्वारा सकारात्मक दिशा में जल की हिस्सेदारी के मुद्दे को उठायें। माननीय मंत्री (जल संसाधन), महाराष्ट्र ने अनुरोध किया कि समझौते पर पहुँचने के लिए दोनों मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने उल्लेख किया कि इस मुद्दे पर वह उनके मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक के पश्चात् ही नई दिल्ली में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन करेंगी।

गुजरात के प्रतिनिधि ने कहा कि महाराष्ट्र पार -ताप-नर्मदा लिंक के योगदान के बजाय तापी नदी से 300 एमसीएम जल की मांग कर रहा है, लेकिन तापी बेसिन में कोई अतिरिक्त जल नहीं है और इसलिए महाराष्ट्र को यह नहीं दिया जा सकता है। विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने बताया कि गुजरात अधिकारियों के साथ उनकी बैठक के दौरान यह संकेत दिया गया था कि महाराष्ट्र को नर्मदा जल के 140 एमसीएम प्राप्त करना था। उन्होंने सुझाव दिया कि गुजरात उकाई में तापी बेसिन में महाराष्ट्र को 140 एमसीएम जल दे सकता है और इसके बदले गुजरात को पार-तापी-नर्मदा लिंक के माध्यम से मुआवजा दिया जा सकता है। मुख्य सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने स्पष्ट किया कि नर्मदा और तापी के बीच जल के साझाकरण का मुद्दा न्यायाधीन था और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसारआवंटन में कोई भी बदलाव सभी चार पक्षकार राज्यों की मतैक्यता की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि केवल 140 एमसीएम जल की व्यवस्था नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अनुमोदन पर अनुमति दी जा सकती है। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने सलाह दी कि बैठक के बाद गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकारियों और मुख्य सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) और विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) की दोनों लिंक परियोजनाओं के संबंध में जल के बंटवारे के संबंध में मुद्दे पर बैठक आयोजित की जा सकती है।

यह निर्णय लिया गया कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य सरकार पार -तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डीपीआर पर अपनी टिप्पणियों में तेजी लाने और जल्द से जल्द रा.ज.वि.अ. को प्रस्तुत करें।

मद सं 9.6: महानदी-गोदावरी लिंक का प्रणाली अनुकरण अध्ययन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि एनआईएच, रुड़की ने महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के जल संतुलन अध्ययन पर मसौदा प्रतिवेदन दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को रा.ज.वि.अ. को सौंपी थी। इस प्रतिवेदन को उप-समिति की अगली बैठक में चर्चा और अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रणाली अध्ययन के लिए शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख अभियंता (योजना), जल संसाधन विभाग, ओडिशा को भी अपने विचार देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद, जल संतुलन अध्ययन की अंतिम प्रतिवेदन विशेष समिति को प्रस्तुत की जाएगी। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने उप-समिति की बैठक को शीघ्र ही आहूत करने का अनुरोध किया।

उड़ीसा के प्रतिनिधि ने प्रतिवेदन की प्रति के लिए अनुरोध किया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कहा कि वह उन्हें शीघ्र ही भेजा जाएगा।

मद सं. 9 .7: अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

कार्यसूची नोट में दी गई अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति समिति द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं 9.8: राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की पुनर्रचना के लिए उप-समिति कि अनुशंसाओं को सितंबर, 2015 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था और समिति की अनुशंसाओं सहित प्रतिवेदन की एक प्रस्तुति भी के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई थी जो दिनांक 15.9.2015 को आयोजित विशेष समिति की छठी बैठक में प्रस्तुत कि गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्निर्माण के लिए उप-समिति की प्रतिवेदन भी रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर रखी गई थी।

विशेष समिति की हुई पिछली बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवेदन को शीघ्र संसाधित कर सरकार के अनुमोदन हेतु जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यह उल्लेख किया गया था कि मंत्रालय में रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन पर प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन थी।

रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति के अध्यक्ष श्री एम. गोपालकृष्णन ने बताया कि रा.ज.वि.अ. केन-बेतवा परियोजना के लिए अनेक अनुमतियां ले रही थी। रा.ज.वि.अ. की स्टाफ की संख्या उन्हें सौंपे गए कार्यों की तुलना में बहुत कम थी और इसलिए, रा.ज.वि.अ. को मजबूत बनाने के लिए प्राथमिकता पर काम करना आवश्यक था। उन्होंने आगे कहा कि यदि उप-समिति की रा.ज.वि.अ. की तात्कालिक मजबूती को लागू करने की अनुशंसाओं को लागू किया जाए तो विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से और समय पर किया जा सकता है। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को सलाह दी कि प्रतिवेदन को प्राथमिकता पर संसाधित किया जाए। उन्होंने प्रतिवेदन के प्रसंस्करण और अनुमोदन के बारे में चर्चा करने के लिए बैठक के बाद महानिदेशक रा.ज.वि.अ. और श्री एम. गोपालकृष्णन के साथ विशेष सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया।

मद सं 9.9: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने सदस्यों को समिति के समक्ष अपने विचार, यदि कोई हो तो, व्यक्त करने को कहा।

समिति के एक सदस्य श्री विराग गुप्ता ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति का गठन किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई भी दिशा निर्देश, यदि किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जाए तो भारत के संविधान के तहत एक कानून है।उन्होंने सुझाव दिया कि 'नदियों के अंतर्योजन का कैलेण्डर' तैयार किया जाएजिसमें परियोजनाओं का विवरण, विभिन्न स्वीकृतियां, समय-सीमा आदि शामिल हों जिससे देरी से बचा जा सके या कम किया जा सके। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि यह सुझाव अच्छा है और यह राज्य सरकारों को नदियों के अंतर्योजन के कैलेण्डर का पालन

करने में भी मदद करेगी। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने सलाह दी कि सभी लिंक परियोजनाओं के लिए 'नदियों के अंतर्योजन का कैलेण्डर' तैयार किया जाए।

केरल के प्रतिनिधि ने कहा कि माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने पहले उल्लेख किया था कि राज्य सरकार के मतैक्य के बिना पम्बा-अंचाकोविल-वैप्पारलिंक परियोजना का पालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पम्बा और अंचाकोविल घाटियों में पर्याप्त जल नहीं था और इसलिए केरल ने इसका विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केरल नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कार्यक्रमों का विरोध नहीं करता है। उन्होंने इसे रिकॉर्ड पर लाने का अनुरोध किया। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि केरल के अनुरोध पर मतैक्यता है लेकिन लिंक परियोजना को नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम की सूची से नहीं हटाया जाएगा। परियोजना को नदियों का अंतर्योजन पर कार्यबल द्वारा विचार किया जाएगा और इस संबंध में आगे की कार्रवाई संबंधित राज्यों की मतैक्यता के बाद ही की जाएगी।

आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत, तीन लिंक परियोजनाएं आंध्र प्रदेश से संबंधित थीं। उन्होंने उल्लेख किया कि कृष्णा-पेन्नार-पलार लिंक सहित कुछ अंतर राज्य लिंक परियोजनाओं के डीपीआर की तैयारी आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने स्वयं के धन के साथ की है। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन पूरी होने पर रा.ज.वि.अ. को प्रस्तुत किया जाएगा।

बिहार के प्रतिनिधि ने कहा कि दो अंत:राज्यीयलिंक परियोजनाओं जैसे (I) बुरही-गंडक-नून-बाया-गंगा और (ii) बिहार के डीपीआर कोसी-मेची केंद्रीय जल आयोग में स्वीकृति के लिए लंबित थीं। उन्होंने इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने उल्लेख किया कि इस संबंध में माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री, बिहार ने भी उनसे अनुरोध किया था। केंद्रीय जल आयोग के महानिदेशक, रा.ज.वि.अ., जो सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) भी हैं, ने आश्वासन दिया कि उन्हें शीघ्र ही परियोजनाओं के तकनीकी -आर्थिक मूल्यांकन प्राप्त कर प्रसंस्कृत किए जायेंगे।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि रा.ज.वि.अ. द्वारा नदियों के अंतर्योजन कीपरियोजनाओं के डीपीआर तैयार किए गए हैं और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भी इन प्रतिवेदनों की तैयारी में योगदान दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्रीय जल आयोग और रा .ज.वि.अ. अधिकारियों के दल को मिलकर काम करना चाहिए और नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के मूल्यांकन में देरी से बचने चाहिए।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

****

अनुलग्नक-I

विज्ञानभवन, नई दिल्ली में 29.04.2016 कोआयोजितनदियों के अंतर्योजन कीविशेषसमितिकीदसवीं बैठकमेंसदस्यों, विशेषआमंत्रितोंऔरप्रतिभागियोंकीसूची।

1.	सुश्रीउमाभारती, माननीयकेंद्रीयमंत्री, (जलसंसाधन, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण मंत्रालय) भारत सरकार, नईदिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्रीगिरीशमहाजन, माननीयमंत्री (जलसंसाधन), महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	सदस्य
3.	श्रीशशिशेखर, सचिव (जलसंसाधन, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण), नईदिल्ली	सदस्य
4.	श्रीजी.एस. झा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नईदिल्ली	सदस्य
5.	श्रीवी.के. पिपरसेनिया, मुख्यसचिव, असम सरकार, दिसपुर	सदस्य
6.	श्रीवी.जे. कुरियन, अपरमुख्यसचिव (जलसंसाधन विभाग), केरल सरकार,तिरुवनंतपुरम	सदस्य
7.	श्रीआदित्यनाथदास, मुख्य सचिव, जलसंसाधन विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
8.	श्रीविराग गुप्ता, सामाजिककार्यकर्ता	सदस्य
9.	श्रीश्रीरामवेदियर, सामाजिककार्यकर्ताएवं सलाहकार (जलसंसाधन, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण मंत्रालय),नईदिल्ली	सदस्य
10.	श्रीनरेन्द्रबिरथरे, सामाजिककार्यकर्ताऔर पूर्वविधायकशिवपुरी, मध्यप्रदेश	सदस्य
11.	श्रीमतीसायालीजोशी, सामाजिककार्यकर्ता, पुणे	सदस्य
12.	श्रीप्रदीपजेना, प्रधानसचिव (जल संसाधन विभाग), उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर	मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व
13.	श्रीरामकुमारके.एस., उपाध्यक्ष,सीटीसीसहआईएसएसडब्ल्यू, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	मुख्य सचिव, लोक सेवा विभाग, तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व
14.	श्रीप्रकाशउन्हले, अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश सरकार, नईदिल्ली	मुख्य सचिव, जल संसाधन विकास, मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
15.	श्रीगुरुपादस्वामीबी.जी., सचिव (जल संसाधन विभाग), कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	मुख्य सचिव, जल संसाधन विकास, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व

16.	श्रीअविनाशमिश्रा, संयुक्तसलाहकार, नीतीआयोग, नईदिल्ली	सदस्य (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
17.	श्रीआर.वी. पांसे, महानिदेशक, महाराष्ट्रअभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (मेरी), नासिक,महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	मुख्य सचिव, जल संसाधन विकास, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व
18.	श्रीनवनीतकुमार, मुख्यअभियंता (बेतवा), सिंचाईविभाग, उत्तरप्रदेश सरकार, झांसी	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्रीउमेशडोंगरे, सलाहकार, कार्यलयमुख्यसलाहकार (लागत), व्यय विभाग,वित्तमंत्रालय, नईदिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालयका प्रतिनिधित्व
20.	श्रीविनोदशाह, अपर सचिव (जल संसाधन विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर	प्रधान सचिव, जल संसाधन विकास, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
21.	श्रीएस.के. बसिय्याल, कार्यपालन अभियंता, सिंचाईविभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	सचिव, सिंचाई, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
22.	श्रीआरएन.जिंदल, निदेशक (एस), एनआरसीडी, पर्यावरण, वनऔरजलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नईदिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का प्रतिनिधित्व
23.	श्रीसंतोषकुमार, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार,रांची	प्रधान सचिव, जल संसाधन विकास, झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
24.	श्रीमतीइंदुभूषणकुमार, मुख्यअभियंता, योजनाऔरनिगरानी, जल संसाधन विभाग, सरकारबिहार, पटना	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विकास, बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व
25.	श्रीके.बी. रबादिया, मुख्य अभियंता (एसजी) औरअतिरिक्तसचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, अहमदाबाद	सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
26.	श्रीएसमसूदहुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ., नईदिल्ली	सदस्य-सचिव

स्थायीआमंत्रण

27. श्रीबी.एन.नवलावाला,
मानीयकेन्द्रीय मंत्री(जलसंसाधन, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण)
केमुख्यसलाहकार एवं
अध्यक्ष, कार्यबल-नदियों का अंतर्योजन

विशेषआमंत्रित

28. डॉ०अमरजीतसिंह
विशेषसचिव (एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर),
नईदिल्ली

29. श्रीएमगोपालकृष्णन,
विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजनकेअध्यक्ष, उप-समिति-III
औरसदस्य, नदियों का अंतर्योजनकेलिएकार्यबल

29. श्रीए.डी.मोहिले,
केंद्रीय जल आयोगकेपूर्वअध्यक्ष,
सदस्य, नदियों का अंतर्योजनहेतुकार्यबल

जलसंसाधन, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण औरअन्यकेंद्रीयमंत्रालयोंकेअधिकारी

31. डॉ.बी.राजेन्द्र
संयुक्तसचिव (पीपी),
जलसंसाधन मंत्रालय, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण,
नईदिल्ली

32. श्रीएस.के. शर्मा,
वरि. संयुक्तआयुक्त (पीपी), जलसंसाधन मंत्रालय, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण,
नईदिल्ली

33. श्रीसमीरसिन्हा,
प्रवक्ता, जलसंसाधन मंत्रालय, नदीविकासऔरगंगासंरक्षण,
नईदिल्ली

34. डा.एम.वी.नेमाडे
निदेशक (लागत), वित्तमंत्रालय,
व्यय विभाग,
नईदिल्ली

राज्यसरकारकेअधिकारी

35. श्रीपी.पी. चांगककटी, सचिव,
जलसंसाधनविभाग,
असम सरकार, दिसपुर

36. श्रीडी.रामकृष्णा, आईएस
औरमुख्यअभियंता, जलसंसाधन विभाग,
आंध्रप्रदेश सरकार, हैदराबाद

37. श्रीराजेन्द्रपवार,
मुख्यअभियंता,
योजनाएवंजलविज्ञान,
महाराष्ट्र सरकार, नासिक

38. श्रीएससीशर्मा,
अधीक्षणअभियंता, सिंचाईकार्य,
झांसी (यूपी)

39. श्रीआर.के. सिंगला,
अधीक्षणअभियंता,
सिंचाई विभाग,
हरियाणा सरकार

40. श्रीअमितवरथ,
अधीक्षणअभियंता, जलसंसाधन विभाग,
उड़ीसा सरकारका आईडब्ल्यूडीसेल, नईदिल्ली

41. श्रीपी.अरिवझगन,
कार्यपालन अभियंता, सिंचाईविभाग,
पीडब्ल्यूडी, पुदुचेरी

42. श्रीवी.राधाकृष्णन,
भूगर्भ जलशास्त्री, कृषिविभाग, पुदुचेरी

43. श्रीएम.पी. समरिया,
कार्यकारीअभियंता,
जलसंसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार,जयपुर

44. श्रीआर.शिवप्रसादपिल्लई,
कार्यकारीअभियंता,
कावेरीविशेष प्रकोष्ठ,
केरल सरकार, नईदिल्ली

45. श्रीडी.संकाराराव,
उपकार्यकारीअभियंता,
कार्यालय मुख्यअभियंता,
अंत:राज्यीयऔरजल संसाधनविभाग,
आंध्रप्रदेश,हैदराबाद,

रा.ज.वि.अ.के अधिकारी

46. श्रीआरकेजैन,
मुख्यअभियंता (मुख्यालय),
नईदिल्ली

47. श्रीएम.के. श्रीनिवास,
मुख्यइंजीनियर (दक्षिण),
हैदराबाद

48. श्रीएन.सी.जैन,
निदेशक (तकनीकी),
नईदिल्ली

49. श्रीके.पी. गुप्ता, अधीक्षणअभियंता, नईदिल्ली

50. श्रीओ.पी.एस. कुशवाह, अधीक्षणअभियंता,
नईदिल्ली

51. श्रीमतीजंसीविजयन, निदेशक (एमडीयू),
नईदिल्ली

52. श्रीजब्बारअली,
उपनिदेशक,
नईदिल्ली

53. श्रीके.के. श्रीवास्तव,
उपनिदेशक,नईदिल्ली

54. श्रीआर.के. खरबंदा,
उपनिदेशक,नईदिल्ली।

55. श्रीआर.के. शर्मा,
उपनिदेशक, नईदिल्ली

56. श्रीनागेशमहाजन,
उपनिदेशक,नईदिल्ली

57. श्रीके.के. राव,
उपनिदेशक (एच),
नईदिल्ली

58. श्रीएम.एस. अग्रवाल
वरिष्ठसलाहकार, रा.ज.वि.अ.,
नईदिल्ली

59. श्रीएम.के. सिन्हा
वरिष्ठसलाहकार, रा.ज.वि.अ.,
नईदिल्ली

60. श्रीनिजामअली, परामर्शदाता,
रा.ज.वि.अ., नईदिल्ली।